न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 135/17
निर्णय दिनांकः 03.05.2018

1. रामधन
2. नारायण
3. अर्जुन
4. मंगल
5. गोपाल
6. रामचन्द्र
7. राधा
8. नानछी
9. सुरज्ञान

समस्त पिसरान सुवा पुत्र औकार जाति जाट नि0 सामलपुरा तह0 फुलेरा

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 45/2 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में सुखा पिता औकार कौम जाट सा0 सामलपुरा हि0 1/8 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी खं0नं0 45/2 वादीगण के पिता सुवा पुत्र औकार के कब्जें काश्त व खातेदारी की है वादीगण के पिता सुवा पुत्र औकार का दिनांक 19.08.93 को देहावसान हो चुका है जिसकी मृत्यु पश्चात् वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है व लगान अदा करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी खं0नं0 45/2 के पुरानें खं0नं0 45 है उक्त आराजी हीरा पुत्र दयाल जाति जाट नि0 सामलपुरा के नाम गलत दर्ज हो जाने से वादीगण के पिता सुवा पुत्र औकार सहित उसके अन्य भाई बन्धों ने एक वाद अनुवानी चौखा वगै0

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

बनाम हीरा वगै0 मु0सं0 102/76 मान्य न्यायालय में दायर किया था जो दिनांक 17.08.76 को अन्तिम रूप से निर्णित किया जाकर वादीगण के पिता सहित अन्य को उपरोक्त आराजीयात में बहिस्सा बराबर बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर डिक्री किया गया था। उक्त डिक्री की अनुपालना में राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाना था लेकिन वरबक्त खोले जाने नामान्तकरण वादीगण के पिता सुवा पुत्र औकार के स्थान पर सुवा पुत्र औकार दर्ज कर दिया गया जबकि मान्य न्यायालय द्वारा वाद सं0 102/76 में पारित निर्णय व डिक्री में सुवा पुत्र औकार नाम का कोई व्यक्ति नहीं था बतौर वादी सं0 8 सुवा पुत्र औकार दर्ज था इसलिए डिक्री की अनुपालना में सुवा पुत्र औकांर के नाम अमल दरामद किया जाना था। वरबक्त खोले जाने नामान्तकरण सुवा पुत्र औकार के स्थान पर सुखा पुत्र औकार दर्ज होने से राजस्व रिकोर्ड में इसी नाम से इन्द्राज चला आ रहा है चूकि सुवा पुत्र औकार अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्सें पर काबिज काश्त था इसलिए निश्चित रहा। उसकी मृत्यु पश्चात् वादीगण उसके हिस्सें पर काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए वो भी निश्चित रहे लेकिन वर्ष 2015 में वादीगण ने उपरोक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल ली तो उन्हे पता चला कि वादग्रस्त आराजी में उनके पिता का नाम सुवा पुत्र औकार के बजाय सुखा पुत्र औकार दर्ज है इसलिए विरासत का फौती नामान्तकरण उनके हक में नहीं खोला जा सका है। दिनांक 19.06.15 को वादीगण की ओर से एक प्रा0पत्र राजस्व केम्प शार्दुलपुरा में शिविर प्रभारी को प्रस्तुत कर वादीगण के पिता का नाम सुखा पुत्र औकार की बजाय सुवा पुत्र औकार दर्ज करने का निवेदन किया था लेकिन उक्त दुरूस्ती नहीं की जा सकी। तत्पश्चात् वादीगण कई बार प्रतिवादी से इस बाबत निवेदन कर चुके है लेकिन उनके द्वारा रिकोर्ड में दुरूस्ती की असमर्थता जाहिर करते हुए मान्य न्यायालय में चारा जोरी करने की सलाह दी है इसलिए वादीगण की ओर से उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती विरूद्व प्रतिवादी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से नानगराम उपस्थित हुए। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र चैनपुरा में

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि खं0नं0 45/2 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा ग्राम कन्देवली में सुखा पुत्र औकार के स्थान पर सुवा पुत्र औकार की शुद्वि किया जाना उचित है।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072, मृत्यु प्रमाण पत्र सुवा पुत्र औकार, जमाबन्दी 2069–72, शिविर में पेश प्रा0पत्र, प्रतिलिपि वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी सांभर चौखा बनाम हीरा पेश की है।

वादीगण ने वाद को राजस्व लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 45/2 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज सुखा पिता औकार को दुरूस्त किया जाकर सुवा पिता औकार दर्ज कर वादीगण को सुवा पिता औकार के दर्ज हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प चैनपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

रामधन वगै0 बनाम तहसीलदार फुलेरा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 135/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहनलाल वर्मा व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 45/2 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम कन्देवली प0ह0 कन्देवली गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में दर्ज सुखा पिता औकार को दुरूस्त किया जाकर सुवा पिता औकार दर्ज कर वादीगण को सुवा पिता औकार के दर्ज हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । .....

.....निज ..... मुबलिग..... बाबत्..... ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत.....
उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner